

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2634
दिनांक 16.12.2025 को उत्तरार्थ

पंचायत विकास योजनाएं

2634. श्री महेश कश्यप:
श्री देवुसिंह चौहान:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में जन योजना अभियान (पीपीसी) 2025-26 के कार्यान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है और वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए तैयार की गई या तैयार की जा रही पंचायत विकास योजनाओं (पीडीपी) की संख्या कितनी है;

(ख) क्या मंत्रालय ने पीपीसी 2025-26 के दौरान साक्ष्य-आधारित योजना में सहायता हेतु ई-ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत ऐप और पंचायत निर्णय जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के उपयोग और उनकी प्रभावशीलता का कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में प्रमुख निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने पीपीसी 2025-26 के दौरान पंचायतों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए पंचायत विकास सूचकांक (पीएआई) में प्रयुक्त संकेतकों का अद्यतन या विस्तार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) पंचायत, "स्थानीय स्वशासन" होने के कारण, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। मंत्रालय किंतु जमीनी स्तर पर पंचायत विकास योजनाओं (पीडीपी) की तैयारी के लिए वर्ष 2018 से 'सबकी योजना सबका विकास' के रूप में जन योजना अभियान (पीपीसी) को लागू कर रहा है। यह अभियान अगले वित्तीय वर्ष की योजना तैयार करने के लिए संरचित तरीके से प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर से शुरू होकर वित्तीय वर्ष के अंत तक चलता है। यह ग्राम/ग्राम पंचायतों, ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायतों और जिला पंचायतों सहित पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर लोगों की भागीदारी के माध्यम से किया जाता है। इस वर्ष यह अभियान 2 अक्टूबर, 2025 से शुरू किया गया है। मंत्रालय ने पीडीपी की तैयारी के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए हैं और क्षमता निर्माण सहायता, योजना टेम्पलेट और डिजिटल उपकरण प्रदान किए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अभियान के लिए गतिविधियां शुरू कर दी हैं। अब तक, 1,48,355 ग्राम सभाएं निर्धारित की गई हैं और 1,39,305 पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय द्वारा संशोधित आरजीएसए के समग्र मूल्यांकन के हिस्से के रूप में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद (आईआरएमए) के माध्यम से ई-गवर्नेंस पहलों का भी आकलन किया गया। यह मूल्यांकन पंचायती राज संस्थाओं द्वारा बेहतर वित्तीय प्रबंधन और बेहतर सेवा प्रदायगी को इंगित करता है जिसे नियोजन, लेखांकन और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के लिए ई-ग्रामस्वराज, मेरी पंचायत ऐप और पंचायत निर्णय जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों को बेहतर ढंग से अपनाने में सक्षम बनाया गया है। अध्ययन में पाया गया कि जवाबदेही को बढ़ावा देकर, मानवीय त्रुटियों को कम करके और अधिकारियों तथा नागरिकों दोनों के लिए सूचना की पहुंच में सुधार करके जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी की कार्यदक्षता को बढ़ावा मिला और डिजिटल कार्यप्रवाह के माध्यम से परिणाम संभव हुए। अध्ययन में उन क्षेत्रों पर भी प्रकाश डाला गया है, जिन्हें और सशक्त बनाने की ज़रूरत है, जिसमें डिजिटल साक्षरता, लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और हैंडहोल्डिंग सहायता शामिल हैं, जिन्हें चल रहे क्षमता निर्माण और प्रणाली सुधार उपायों के ज़रिए ठीक किया जा रहा है।

इसके अलावा, नीति आयोग ने परिणामों पर पूरक साक्ष्य प्रदान करने के लिए आरजीएसए का एक स्वतंत्र मूल्यांकन किया है। यह मूल्यांकन पंचायत संचालन, योजना और कार्यान्वयन (जीपीडीपी सहित) डिजिटल शासन, नागरिक सहभागिता और योजना के संरचित, बहुस्तरीय क्षमता निर्माण, कक्षा/विषयगत मॉड्यूल, एक्सपोज़र विज़िट और डिजिटल लर्निंग के कारण वित्तीय सहभागिता से बढ़ती पीआरआई क्षमताओं को इंगित करता है।

(घ) और (ङ) जी हाँ, पंचायत विकास सूचकांक (पीएआई) के तहत स्थानीय संकेतकों के युक्तिकरण के लिए समिति की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के 9 विषयों पर वर्ष 2023-24 के लिए पीएआई 1.0 में संकेतकों को 516 से युक्तिसंगत कर पीएआई 2.0 में 150 कर दिया है। फ्रेमवर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पीएआई 1.0 से पीएआई 2.0 में बदलाव किया गया था, जिसमें कार्यप्रवाह को आसान बनाकर उपयोगिता को बेहतर बनाने के स्थानीय संकेतकों और डेटा बिंदुओं का अधिक प्रासंगिक और प्रतिनिधि सेट शामिल था। पीएआई 1.0 और पीएआई 2.0 के संकेतकों की विषयवार तुलना अनुलग्नक में संलग्न है।

अनुलग्नक

पंचायत विकास योजनाओं के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2634 जिसका उत्तर दिनांक 16/12/2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) और (ड) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

पीएआई 1.0 और पीएआई 2.0 की विषय-वार तुलना

| विषय | संकेतक संख्या | |
|--|---------------|------------|
| | पीएआई 1.0 | पीएआई 2.0 |
| विषय 1 - गरीबी मुक्त और बेहतर आजीविका वाली पंचायत | 32 | 14 |
| विषय 2 - स्वस्थ पंचायत | 21 | 15 |
| विषय 3 - बाल अनुकूल पंचायत | 82 | 15 |
| विषय 4 - जल पर्याप्त पंचायत | 21 | 10 |
| विषय 5 - स्वच्छ और हरित पंचायत | 33 | 11 |
| विषय 6 - आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाली पंचायत | 159 | 18 |
| विषय 7 - सामाजिक रूप से न्यायसंगत और संरक्षित पंचायत | 62 | 20 |
| विषय 8 - सुशासन वाली पंचायत | 62 | 26 |
| विषय 9 - महिला अनुकूल पंचायत | 44 | 21 |
| कुल | 516 | 150 |
